संख्या-2/2016/एस0ई0-749/दस-2015-आ-15/2015

प्रेषक,

कामिनी चौहान रतन,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 13 जनवरी, 2016

विषय:- वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-4) में विभागों में अधीनस्थ लेखा संवर्ग एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर सहायक लेखाधिकारी के 370 पदों का चिन्हांकन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आ0ले0प0-1094/4043/अधि0/ वेतन समिति/2012, दिनांक 27-9-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग की प्रचलित योजनाओं के क्रम में विभागीय लेखा, लेखा परीक्षा संबंधी कार्य सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिए तथा विभागों में वित्तीय अनुशासन व नियंत्रण बनाये रखने के लिए सहायक लेखाधिकारी पद के सृजन के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा की गयी मांग के दृष्टिगत वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1852/दस -54(एम)2008 टी0सी0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 व शासनादेश संख्या-वे00-2-1853/दस-54(एम)2008टी0सी0 दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 के प्रस्तर-1(4) में अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग में वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1 तथा लेखा संवर्ग में वरिष्ठ लेखाकार का स्तर समाप्त करते हुए उक्त स्तर के वर्तमान में उपलब्ध पदों में से 240 पदों को बनाये रखते हुए सहायक लेखाधिकारी संवर्ग में समायोजित कर दिये जाने का प्राविधान एवं उक्त के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले सहायक लेखाधिकारी के 370 पदों का विभागवार चिन्हांकन निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा किये जाने की संस्तुति तथा उ0प्र0 सरकारी विभाग सहायक लेखाधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली 2015 में सहायक लेखाधिकारी के 370 दर्शाये गये पदों के क्रम में सहायक लेखाधिकारी के पूर्व में सृजित 238 पदों में 107 पदों को वित्त एवं लेखा सेवा के वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 में उच्चीकृत किये जाने के फलस्वरूप विभिन्न विभागों में लेखा कार्यो के सुदृढ़ीकरण के कारण कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर निम्नांकित संलग्नक 'ख' के अनुसार चिन्हांकित 244 पदों को जोड़ते हुए सहायक लेखाधिकारी के कुल चिन्हांकित 370 पदों की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संलग्नक-'ख'

भवदीया,

कामिनी चौहान रतन
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2016/एस0ई0-749(1)/दस-2015-आ-15/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज रतन)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।